राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 508/2008/बारां

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बारां. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, देवारी, बारां. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 19.04.2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत अपील संख्या 45/आरएसटी/2006–07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यथी व्यवहार्री के वर्ष 1996–97 के कर निर्धारण आदेश में मंडल वन अधिकारी, बारां से क्रय किये गये माल, तेंदू पता पर इस आधार पर कर आरोपित किया गया है कि तेंदू पता पर रॉयल्टी के भुगतान होने से वह माल कर चुका माल नहीं माना जा सकता। अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में विक्रय के प्रथम बिन्दु पर ही कर देय होता है एवं इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य की पंजीकृत फर्म, वन मंडल अधिकारी बारां को टैक्स की राशि चुकाते हुये वन में उपलब्ध तेंदूपतों का संग्रहण

लगातार.....2

किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा यह पाया जाने पर कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता वन मंडल अधिकारी बारां को कर चुकाते हुये कर की रसीदें भी प्राप्त की हुई है जो पत्रावली पर रखी गई थी, उसी माल पर अधिनियम, 1994 के तहत दोबारा कर आरोपित किया जाना अविधिक है अतः आरोपित कर एवं त्रैमासिक विवरण पत्रों की अनिवार्यता नहीं होने के कारण मांग राशि को अपास्त किया गया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने भी इस 'तथ्य' का विरोध नहीं किया है कि खरीद के समय वन मंडल अधिकारी को माल पर देय कर का भुगतान किया जा चुका था एवं इसी तरह के समान प्रकरण में जो बारां के वन मंडल से ही सम्बन्धित था के प्रकरण में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा एसीटीओ बनाम भारत बीडी फैक्ट्री अपील संख्या 144/2004/बारां में कर चुका कर की गई खरीद माल के विक्रय को, कर चुका माल मानते हुये आरोपित कर कों अपास्त किया गया है। अतः कर बोर्ड के उक्त निर्णय से यह प्रकरण कवर्ड है।

5. रेकार्ड के अवलोकन पर यह तथ्य भी सत्यापित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल की खरीद के समय देय विक्रय कर का भुगतान वन मंडल अधिकारी को कर दिया गया था ऐसी स्थिति में उस माल पर पुनः करारोपण किया जाना अविधिक है।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य